

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-129/2012

उनवान

पतासीदेवी पत्नी जगदीश जाति अहीर, निवासी ग्राम बलेखण, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादीया-

बनाम

1. जगदीश पुत्र कानाराम
2. सीताराम पुत्र गंगासहाय
3. प्रभातीलाल पुत्र भैरूराम
4. गोपाल पुत्र भैरूराम
5. भीवाराम पुत्र भैरूराम
6. नारायणी पत्नी रामेश्वर
7. श्यामलाल पुत्र रामेश्वर
8. सीताराम पुत्र रामेश्वर
9. किरण पुत्री रामेश्वर

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बलेखण, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

10. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय, चौमूँ, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा

निर्णय

दिनांक :- 31.10.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षों ने प्राप्त कुर्रैजात प्रस्ताव के मुताबिक वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा खातेदारों का रिकार्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार ही बनाया गया है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नं० 538 रकबा 1.67 है० व खसरा नम्बर 539 रकबा 1.60 हैक्टेयर वाके ग्राम बलेखण, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. किरण पुत्री रामेश्वर हिस्सा 293/6200, गोपाल पुत्र भैरूराम हिस्सा 1550/6200 राहिन ओबीसी शाखा चौमूँ, नारायणी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 187/6200 राहिन ओ.बी.सी. शाखा चौमूँ हिस्सा 106/6200, बिला. प्रभाती लाल पुत्र भैरूराम हिस्सा 1551/6200 राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा चौमूँ, भीवाराम पुत्र भैरूराम हिस्सा 1551/6200 राहिन ओ.बी.सी. चौमूँ

Sanjay

मु0सं0-129/2012

उनवान-पतासीदेवी बनाम जगदीश वगै0


निर्णय दिनांक:-31.10.2019

श्यामलाल, सीताराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 962/6200 राहिन ओ.वी.सी. शाखा चौमू जाति अहीर सा.देह के हिस्से में खसरा नम्बर 539/1 रकबा 0.45 है0, 538/3 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

2. सीताराम पुत्र गंगासहाय जाति अहीर सा.देह के हिस्से में खसरा नम्बर 538/1 रकबा 0.42 है0, 539/2 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. जगदीश पुत्र कानाराम हिस्सा 25/108, पतासीदेवी पत्नी जगदीश हिस्सा 83/108 जाति अहीर सा.देह के हिस्से में खसरा नम्बर 538/2 रकबा 1.08 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. पतासी पत्नी जगदीश जाति अहीर सा.देह के हिस्से में खसरा नम्बर 539/3 रकबा 0.79 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ़तर हो।


सहायक कलक्टर
चौमू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-129/2012

उनवान

पताशीदेवी पत्नी जगदीश जाति अहीर, निवासी ग्राम बलेखण, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादीया-

बनाम

1. जगदीश पुत्र कानाराम
 2. सीताराम पुत्र गंगासहाय
 3. प्रभातीलाल पुत्र भैरूराम
 4. गोपाल पुत्र भैरूराम
 5. भीवाराम पुत्र भैरूराम
 6. नारायणी पत्नी रामेश्वर
 7. श्यामलाल पुत्र रामेश्वर
 8. सीताराम पुत्र रामेश्वर
 9. किरण पुत्री रामेश्वर
- समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बलेखण, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय, चौमूँ, जिला जयपुर।
 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूँ जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुर्रजात रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नं0 538 रकबा 1.67 है0 व खसरा नम्बर 539 रकबा 1.60 हैक्टियर वाके ग्राम बलेखण, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. किरण पुत्री रामेश्वर हिस्सा 293/6200, गोपाल पुत्र भैरूराम हिस्सा 1550/6200 राहिन ओबीसी शाखा चौमूँ, नारायणी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 187/6200 राहिन ओ.बी.सी. शाखा चौमूँ हिस्सा 106/6200, बिला. प्रभाती लाल पुत्र भैरूराम हिस्सा 1551/6200 राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा चौमूँ, भीवाराम पुत्र भैरूराम हिस्सा 1551/6200 राहिन ओ.बी.सी. चौमूँ श्यामलाल, सीताराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 962/6200 राहिन ओ.बी.सी. शाखा चौमूँ जाति अहीर सा.देह के हिस्से में खसरा नम्बर 539/1 रकबा 0.45 है0,

Damp

- 538/3 रकबा 0.17 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.62 हैक्टियर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. शीताराम पुत्र गंगासहाय जाति अहीर सा.देह के हिस्से में खसरा नम्बर 538/1 रकबा 0.42 है0, 539/2 रकबा 0.36 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.78 हैक्टियर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. जगदीश पुत्र कानाराम हिस्सा 25/108, पतारीदेवी पत्नी जगदीश हिस्सा 83/108 जाति अहीर सा.देह के हिस्से में खसरा नम्बर 538/2 रकबा 1.08 है0 कुल कित्ता 1 का कुल रकबा 1.08 हैक्टियर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. पतारी पत्नी जगदीश जाति अहीर सा.देह के हिस्से में खसरा नम्बर 539/3 रकबा 0.79 है0 कुल कित्ता 1 का कुल रकबा 0.79 हैक्टियर भूमि प्राप्त होकर कब्जे रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.10.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत
 ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

.....

